न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या– 33 / 2024

बउनवान

हजुर सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह जाति सिक्ख आयु 70 साल निवासी मांगरोल, तहसील मांगरोल जिला बारां, राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 27.11.2024

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल के आदेश दिनांक 07.03.2019 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह निर्णय मिसल के विरूद्ध एवं कानून के विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा एकतरफा निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.03.2019 को निर्णय पारित किया जबकि 7.3.2019 को ही आदेशिका में अपीलांट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की आदेशिका लिखी हुई है। अपीलांट को बिना नोटिस के ही निर्णय पारित कर दिया है। अपीलान्ट द्वारा 2019 से ही आराजीयात से कब्जा हटा लिया है और अपीलान्ट काफी वृद्ध है इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है। अपीलान्ट चलने फिरने में असमर्थ है तथा बिना सहारे के चल भी नहीं पाता है। ऐसी हालत में अपीलांट अब कृषि करने लायक नहीं है, तो अब उसका आराजीयात पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2019 को निरस्त फरमाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये जाने का आदेश फरमावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को सुनवाई व [illegible] का अवसर नही दिया गया है। अपीलांट का उक्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नही रहा और ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:53:53 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौके पर अतिक्रमण/कब्जे की जांच किये अपीलांट को सजायाब किया गया है। अपीलान्ट चलने फिरने में असमर्थ है तथा बिना सहारे के चल भी नहीं पाता है। ऐसी हालत में अपीलांट अब कृषि करने लायक नहीं है, तो अब उसका आराजीयात पर कब्जा होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.03.2019 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में संवत 2075 फसल खरीफ में उक्त भूमि पर अतिचार करने पर मिसल नम्बर 20/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 16.10.2018 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 3468 रकबा 1.00 है0 किस्म चारागाह ग्राम मांगरोल पर सम्वत् 2075 फसल खरीफ में भी अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 20/2018 में पारित निर्णय दिनांक 16.10.2018 से बेदखल किया जाना पत्रावली में संलग्न बयान पटवारी हल्का से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, मांगरोल द्वारा प्रकरण संख्या 11/2019 में पारित आदेश दिनांक 07.03.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.12.17 10:53:53 IST
Reason: SelfAttested